



# HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

## FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): SECTOR-31 Year (वर्ष): 2018  
FARIDABAD  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0219 Date (दिनांक): 06/04/2018  
11:10

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE HARYANA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 2013 (HARYANA ACT NO. 32 OF 2014)	3
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):  
06/04/2018 11:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): Time (समय):  
019 06/04/2018  
17:24 hrs



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 1 Km(s) Beat No. (बीट सं.):  
(b) Address (पता): DLF SEC 31,  
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): SANDEEP MITTAL  
(b) Father's Name (पिताका नाम): MAM CHAND MITTAL  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):  
(g) Occupation (व्यवसाय):  
(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	H NO 212 SEC 9, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	H NO 212 SEC 9, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अनिल जिन्दल चेयरमैन		
2	सुनील जिन्दल		
3	प्रतीक जिन्दल		
4	बिशन बसल		
5	नानक चन्द तायल		
6	राजेश सिगला		
7	जे०के० गर्ग		
8	पी०के० कपूर		
9	अन्य मालिकान डायरेक्टर गण		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

#### प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, सेक्टर 21C फरीदाबाद विषय : दरखास्त विरुद्ध अनिल जिंदल चेररमैन SRS ग्रुप, सुनील जिंदल, प्रतीक जिंदल , बिशन बंसल, नानक चंद तायल, राजेश सिंगला , जे.के. गर्ग, पी.के. कपूर व अन्य मालिकान / डायरेक्टर गण SRS कंपनी सेक्टर -31 फरीदाबाद, रकम 78,72,970/-रुपये की धोखाधड़ी व जालसाजी के बारे श्रीमान जी , मैं संदीप मित्तल पुत्र स्व श्री मामचन्द मित्तल निवासी मकान नंबर 212 सेक्टर-9 फरीदाबाद का हूँ तथा बल्लबगढ़ में अपना व्यापार कार्य करता हूँ। मेरी व हमारे परिवार की अनिल जिंदल व उसके परिवार से पुरानी जान पहचान है जोकि पहले बल्लबगढ़ में हमारे घर के नजदीक ही रहते थे । यह कि अनिल जिंदल व सुनील जिंदल दोनों भाई हमारे घर पर आते रहते थे तथा इन दोनों ने हमसे कहा कि हम फरीदाबाद व अन्य जगह पर फ्लैट आदि बना रहे है तुम उसमे पैसा निवेश कर दो , तुम हमारे पास दस लाख, पचास लाख, एक करोड़ अथवा और भी जितना चाहो पैसा लगा सकते हो , तुम जो भी पैसा लगाओगे उस पर तुम्हे अच्छा मुनाफा देंगे, जल्द ही तुम्हारा पैसा दो से तीन गुना हो जायेगा इसके अतिरिक्त तुम्हरी जो रकम जमा रहेगी उस पर 18% वार्षिक दर (यानी 1.5% मासिक) की दर से ब्याज भी देते रहेंगे तथा जब आपकी इच्छा हो तब आप सारा या कम पैसा वापिस ले सकते हो मैंने इन दोनों की बातों पर विश्वास कर लिया , फिर इन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया और वहाँ पर अन्य दोषीगण से भी मिलवाया और बताया की ये सभी SRS ग्रुप के मालिकान / हिस्सेदार / निदेशक हैं। इन सभी ने



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

#### प्रथम सूचना रिपोर्ट

#### (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

वहाँ पर हमें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फसा लिया जिससे हम इनकी बातों में आ गए और वर्ष 2014 में दिवाली के आस पास अक्टूबर - नवम्बर में हमसे लगभग 75 लाख रूपए तीन चार बार में दोषीगण ने ले लिए परन्तु इनकी नियत शुरू से ही धोखाधड़ी व जालसाजी की थी। जब हमें पता चला की दोषीगण ने बहुत सारी फर्जी , बेनामी कंपनिया बना रखी है तथा सारा पैसा धोखाधड़ी व बेईमानी की नियत से उन फर्जी व बेनामी कंपनियों में TRANSFER कर रहे है तथा यह भी पता चला कि इन लोगों ने फरीदाबाद, बल्लबगढ़ व आस पास के काफी लोगों से धोखाधड़ी करके हजारों करोड़ रूपए ले रखे है। तब हम नवम्बर 2015 में दोषीगण से उनके कार्यालय में कई बार मिले तब भी वे हमें आश्वासन देते रहे की तुम्हे तुम्हारे पैसे का पूरा रिटर्न मिलेगा लेकिन हमारे बार - बार पैसे मांगने पर अनिल जिंदल ने केवल एक MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (M.O.U) बनाकर दे दिया उस समय (01-01-2016) को मेरी मूल रकम 78,72,970/- (अठहत्तर लाख बहत्तर हजार नौ सौ सत्तर) रुपया दोषीगण की तरफ थी दोषीगण ने उसी समय एक BUILDER- BUYER AGREEMENT भी दस्तखत करा लिया तथा उसकी 19000/- रूपए की एक रसीद भी हमसे बिना कोई पैसे लिए काट दी । महोदय, उस समय भी दोषीगण की नियत साफ़ ना थी अपितु धोखाधड़ी की थी , MOU के अनुसार इन्होने एक साल के अंदर यानि 31-12-2016 तक पैसा 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ लौटाने की बात कही और पैसा ना दे पाने की सूरत में फ्लैट की रजिस्ट्री मेरे नाम करने की बात कही, लेकिन उसके बाद (31-12-2016 के बाद) जब बार-बार हम दोषीगण के पास अपने पैसे लेने के लिए जाते रहे परन्तु ये लोग हमें झांसा देते रहे और बाद में तो ये हम से मिलने से भी मना कर देते थे तथा कहते थे कि हमारे पास काफी गुण्डे व बदमाश है, तुम्हे ना तो पैसे वापिस मिलेंगे ना ही फ्लैट मिलेगा और तुमने ज्यादा तंग किया तो तुम्हे घर से उठवा देंगे , तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा यही नहीं , दोषीगण के पास ना तो फ्लैट का मालिकाना अधिकार है ना ही कोई फ्लैट देने लायक स्थिति में तैयार किये है । यह कि दोषीगण ने हमारे खून-पसीने की कमाई / रुपया धोखाधड़ी करके हड़प लिया तथा उस रकम को अपने अन्य कार्यों में लगा दिया/ DIVERT कर दिया और हमारी रकम का दुरुपयोग (MISAPROPRIATION) किया है , तथा हमें जान से मारने की धमकी दी है और हमसे व हमारे जैसे अन्य काफी लोगो से धोखाधड़ी करके रकम ऐंठी है। अतः आपसे निवेदन है कि अनिल जिंदल , सुनील जिंदल व अन्य दोषीगण के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये और हमारी रकम वापिस दिलायी जाये। ENCLOSED : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SD:- प्रार्थी संदीप मित्तल पुत्र स्व श्री मामचंद मित्तल R/O: H.NO.212,



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

SECTOR 9, FARIDABAD अज थाना :- आज दिनांक 06.04.2018 को एक परिवाद नम्बरी-343/Peshi दिनांक 22-3-18 मय साथ सलग्न परिवादे बजरिया डाक बाद राय ADA साहब वा बा आदेश अफसरान बाला बराये दर्ज मुकदमा थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 219 दिनांक 06.04.2018 U/s 420, 406,120B IPC 3 of the Haryana protection of interest of depositors in F.E Act-2013 थाना सैक्टर - 31 फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की कम्प्युटराईज प्रतिया नियमानुसार तैयार करके समबन्धित अफसरान बाला वा इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जाएगी। नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तफतीश हेतु निज्द प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद बजरिया डाक भेजी जाएगी । जो प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद की ID ना होने मुकदमा हजा को ASI जयपाल की ID मे दर्ज किया जा रहा है । ले0 AC

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or ( या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)  
Jaipal  
No. (सं.): 244 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).



## HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

### FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Amit Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes



# HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

## FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5	Male						Is Proxitted: Yes
6	Male						Is Proxitted: Yes
7	Male						Is Proxitted: Yes
8	Male						Is Proxitted: Yes
9	Male						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13





# HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

## FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

### प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.  
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)